मु.नं.–63 / 2021 GCMS ID-2021/104 ता.रजु–28.07.2021

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

विवेक मीना, पता–6, शंकर विहार, जगतपुरा, जयपुर (राज.) – अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सपोटरा – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक–26.08.2021

1. अपीलार्थी को दिनांक 12.08.21, 25.08.21, 26.08.21 को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी उपस्थित नहीं।
2. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर (1) माननीय उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समस्त उपखण्ड स्तरीय समितियों के गठन विघटन के आदेश–निर्देश की सूची (2) उक्त समस्त समितियों में मनोनीत / नियुक्त गैर सरकारी व्यक्ति / संस्था के चयन / मनोनयन संबंधी आदेश निर्देश की प्रति (3) उक्त समस्त समितियों की आज दिनांक तक आयोजित बैठक की कार्यवाही / एजेण्डा मय अखबार कटिंग की प्रति (4) उपखण्ड अधिकारी की कार्यशक्ति एवं अधिकार संबंधी आदेश निर्देश की प्रति (5) माननीय उपखण्ड अधिकारी को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं संबंधी आदेश निर्देश की प्रतियां (6) उक्त समस्त सूचनाओं की प्रमाणित प्रतियां आदि सूचनाऐं चाही गई थी जिन्हें प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह प्रथम अपील पेश की है।
3. प्रत्यर्थी ने अपीलोत्तर पेश कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में पत्रांक 2246 दिनांक 28.07.2021 से बिन्दुबार जवाब के साथ 10 पृष्ठीय सूचना जरिये डाक प्रेषित की जा चुकी है। प्रेषित सूचना की प्रति इस न्यायालय में भी प्रेषित की है। अंत में अपील, अपीलार्थी निरस्त फरमाने का निवेदन किया है।
4. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
5. प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को बिन्दुबार जवाब के साथ 10 पृष्ठीय सूचना प्रेषित की जा चुकी है जिस पर प्रत्यर्थी द्वारा अन्यथा कोई प्रतिकार पेश नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद भी वह इस न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। इससे विदित होता है कि वह प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना से संतुष्ट है।
6. अस्तु अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।
7. निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्षकारान को प्रेषित हो।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
9. निर्णय आज दिनांक 26.08.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली